अध्याय–VI
निष्कर्ष

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1

क्या प्रदेय सिंचाई परियोजनाओ की योजना, निष्पादन एवं प्रबंधन अभिप्रेरित उद्देश्यों के अनुसार किया गया था?

इच्छित परिणामों की उपलब्धि कई कारकों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी। परियोजनाये पहले से ही लंबी अवधि की थी और फिर समय और लागत लंघन का सामना करना पड़ा। नियोजन में कमी और भूमि अधिग्रहण और मंजूरी में विलंब पाये गये। इन सभी का परियोजनाओं के समय पर निष्पादन में व्यापक प्रभाव पड़ा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार परियोजनाओं में ₹ 455.76 करोड़ के निवेश के बाद भी कोई सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं किया जा सका। तीन परियोजनाओं में सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका, जबकि शेष परियोजनाओं में सृजित सिंचाई क्षमता का 2.28 से 68.21 प्रतिशत उपयोग रहा।

भैंसा सिंह परियोजना को सिंचाई और पेयजल दोनों उद्देश्यों के लिए निष्पादित किया गया था। तथापि, बांध का कार्य पूरा होने के बावजूद, कोई सिंचाई क्षमता सृजित नहीं की जा सकी और पेयजल सुविधाओं के लिए इसे जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग को सौंप दिया गया (अक्टूबर 2016)। इस प्रकार, 350 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने की प्रारंभिक योजना चार दशकों से अधिक समय में भी प्राप्त नहीं की जा सकी।

रोहिणी बांध में 365.94 हेक्टेयर की अनुमानित सिंचाई क्षमता सृजित की गई, लेकिन पुरानी और खराब रखरखाव वाली नहर प्रणाली के कारण इसका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जा सका और अंततः पंचायती राज विभाग को सौंपना पड़ा।

जल निकासी की निगरानी, परियोजनाओं के रखरखाव और अनुमानों के अनुसार फसल पद्धति प्राप्त करने में भी कमियां देखी गईं।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 2

क्या अभिप्रेरित परिणामों के लाभ और उपलब्धियों के सतत विस्तार के लिए सभी स्तर पर हितधारकों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया गया था?

परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित नहीं किया गया था। विभागों के बीच समन्वय के लिए कोई औपचारिक तंत्र मौजूद नहीं था।

परियोजनावार परिणामों का सही-सही आंकलन करने के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ें या तो विभाग द्वारा बनाए नहीं गये या लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। जिलों/तहसीलों के लिए सामान्य आंकड़े बनाए गए थे, लेकिन परियोजनावार आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा परियोजनावार परिणाम का सटीक रूप से पता नहीं लगा सकी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच परियोजनाओं में सिंचाई के लिए छोड़ा गया जल परिकल्पित और आरक्षित जल से बहुत कम था, जबकि दो परियोजनाओं में छोड़ा गया जल अत्यधिक जल भराव एवं लवणता का कारण बना। नर्मदा नहर परियोजना में अनाधिकृत जल उठाव पाया गया। पेयजल की आपूर्ति सही नहीं थी, क्योंकि सात में से केवल तीन परियोजनाओं में ही लाभार्थियों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया था। एक परियोजना के संबंध में लाभार्थियों को कोई जल उपलब्ध नहीं कराया गया था और अन्य तीन परियोजनाओं के संबंध में केवल लाभार्थियों के एक हिस्से को शामिल किया गया था।

राजस्थान राज्य जल उपयोगकर्ता संघों का गठन कर सहभागी सिंचाई प्रबंधन प्रारंभ करने में अग्रणी था। तथापि, जल उपयोगकर्ता संघ अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे, जिसके कारण परियोजनाओं का अनुरक्षण एवं प्रबंधन अकुशल हो गया था।

इस प्रकार, अकुशल निष्पादन और प्रबंधन के साथ-साथ अनुचित नियोजन के कारण परियोजनाएं इच्छित उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकीं। महत्वपूर्ण आंकड़ों का संग्रह और हितधारकों के बीच समन्वय भी स्थायी लाभों के परिणामों और उपज की निगरानी के लिए सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(अतूर्वा सिन्हा)
महालेखाकार
लेखापरीक्षा-II, राजस्थान

जयपुर,
दिनांक: 3 जनवरी 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,
दिनांक: 27 जनवरी 2022